न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
59 / 2023	04 / 12 / 2023	04 / 11 / 2025

1. मोड़ूलाल पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
2. कुंजबिहारी पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
3. बाबूलाल पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
4. कल्याणी पुत्री कान्हा जाति बैरवा निवासी खेडली बोरदा तह, पीपल्दा
5. बनवारी पुत्र द्रोपती बाई जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
6. धर्मेन्द्र पुत्र द्रोपती बाई नाबालिग जर्ये वली पिता रामरतन जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. मृतक आत्माराम जरिये कामयमुकाम
1/1 सीताराम पुत्र आत्मा राम जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा
2. जगदीश पुत्र बिरखा जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
3. रुघनाथ पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी खेडली बोरदा तह. पीपल्दा
4. नाथी पुत्री बिरधा पत्नि केसरीलाल जाति बैरवा हाल निवासी तलाव की झोपड़िया तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. गिरधारी पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी खेडली बोरदा तह. पीपल्दा
6. रामकरण पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह, पीपल्दा
7. गिर्राज पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
8. राजाराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
9. महावीर पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
10. भूलीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
11. बिरधीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
12. मथुरीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
13. धापोबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
14. बद्रीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
15. कल्याणी बाई बेवा रामनाथ जाति गूर्जर निवासी खेडली बोरदा तह. पीपल्दा
16. पन्नालाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी निवासी खेडली बोरदा
17. राजस्थान सरकार जये तहसीलदार साहब पीपल्दा तह पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92(ए), 188 आर.टी.एक्ट वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी क्रम 1 ता 4 के पिता एवं वादी क्रम 5 व 6 के नाना व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पिता व दादा व प्रतिवादी क्रम 16 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी पूर्व सेटलमेन्ट ख.नं. 32 की रकया 9 बीधा 9 बिस्वा जिसे तलाई वाला खेत वाके माल मौजा खेडली बोरदा तह. पीपल्दा में स्थित है। जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 व सम्वत् 2033 से 2036 में बखूबी होती है, जिसे आगें की मदों में सुविधा के लिए विवादित आराजी कहां गया है। उक्त विवादित कृषि आराजी के बाद सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों में त्रुटिपूर्ण

अंकन करते हुए पूर्व सेटलमेन्ट ख.नं. 32 तलाई वाला खेत के नवीन ख.नं. 46 कायम कर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पिता व दादा व प्रति. क्रम 16 के खाते दर्ज कर दी। जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी (सेटलमेन्ट) सम्वत् 2041 से 2060 में बखूबी होती है। किन्तु यदि हम पूर्व सेटलमेन्ट ख.नं. 32 की रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा का नक्शा ट्रेस देखते है तो ये प्रतीत होता है कि पूर्व सेटलमेन्ट ख.नं. 32 की रकबा कुल 9 बीघा 9 बिश्वा के नवीन सख.नं. 46 की रकबा 0.79 है, ख.न. 47 की रकबा 0.67 है. कायम किये जाने चाहिए थे। तथा उक्त ख.नं. वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पिता व दादा व प्रतिवादी क्रम 16 के खाते दर्ज किया जाना चाहिए था किन्तु दौराने सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने ऐसा न करके मनमाने व गैरकानूनी तरीक से ख.नं. 47 को प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 के संयुक्त खाते में दर्ज करने की कानूनी भूल की है जो कतई गलत व गैरकानूनी है तथा वादीगण जिसे दुरुस्त करवाते हुए खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। वर्तमान ख.नं. 47 की रकबा 0.67 है. जो प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 के खाते दर्ज है वो गैरकानूनी व सेटलमेन्ट की त्रुटि से प्राप्त हुई है क्योकि वादीगण व प्रति. क्रम 1 ता 3 व प्रति. क्रम 16 के संयुक्त खाते की कृषि आराजी पूर्व सेटलमेन्ट ख.नं. 32 की रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा थी जबकि बाद सेटलमेन्ट ख.नं. 46 जो वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व 16 के दर्ज है जो केवल 0.79 है, जबकि यदि हम ख.नं. 47 जो गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 के खाते में दर्ज है उसकी रकबा 0.67 है. जो यदि हम उक्त दोनो ख.नं. 46 व 47 को जोड़ते है तो कुल 0.79+0.67 = 1.46 है यानि 9 बीघा 2 बिस्वा जो वादीगण के पिता व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व 16 के खाते दर्ज थी के बराबर होती है। उक्त विवादित कृषि आराजी वर्तमान ख.नं. 47 से प्रतिवादी क्रम 4 त्ता 15 का कोई संबंध सरोकार नही है बल्कि उक्त विवादित कृषि आराजी पर वादीगणों का ही कब्जा काश्त पूर्व की भाति शांति पूर्व तरीके से चले आ रहे है और ना ही प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 का उक्त ख.नं. 47 की रकबा 0.67 है. पर कभी कोई कब्जा रहा है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद बाबत खातेदारी घोषणा पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 सेटलमेन्ट की त्रुटि का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने खाते दर्ज हुई ख.नं. 47 की रकबा 0.67 है को किसी दिगर व्यक्ति को बेचान को हरचन्द उतारू है तथा अभी दिनांक 18–6–2012 को प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 ने वादीगणों को धमकी दी है कि वो उक्त विवादित ख.नं. 47 की रकबा 0.67 है जो उनके खाते दर्ज है, को किसी दिगर व्यक्ति को बेचान कर देगे यदि प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 अपने मकसद में कामयाब होकर उक्त विवादित कृषि आराजी ख.नं. 47 की रकबा 0.67 है. को किसी दिगर व्यक्ति को बेचान कर देते है तो वादीगणों के सम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा तथा व्यर्थ की दीगर मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा तथा वादीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन द्रव्य में नही किया जा सकता है। इसलिए वादीगणों द्वारा खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 पेश करना लाजिम आया। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व 16 के मध्य पारिवारिक सेटलमेन्ट हो गया है। जिसके तहत वादीगण को पारिवारिक सेटलमेन्ट यानि बहामी बटवारे में ख.नं. 46, 213 व विवादित ख.नं. 47 प्राप्त हुआ है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण ख.नं. 47 की घोषणा करवाते हुए प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करवाने का अधिकारी है। रामलाल पुत्र बिरधा लाऔलाद फौत हो गया है जिसका हिस्सा उसके भाई, बहिन में समाहित हो गया इसलिए उसे पक्षकार नही बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 10–6–2012 को बेचान

की धमकी देने से लगातार उत्पन है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। वादीगण को ख. नं. 47 की रकबा 0.67 है. वाके माल मौजा खेड़ली बोरदा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तदानुसार वादीगणों को नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 4 ता 15 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे। प्रतिवादीगणों को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित एवं निरोधित किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि आराजी ख.नं. 47 की रकबा 0.67 है. वाके खेडली बोरदा में किसी किस्म की मदाखलत व मजाहमत व कृषि कार्य में बाधा व्यवधान न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

वादी की ओर से वाद श्री एस0टी0एच0 आब्दी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 4, 5, 6, 9, 15 की ओर से श्री भागवन्त सिंह आसावत एड0 ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 2.11.2022 को वाद अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 4.12.2023 को वादी द्वारा रेस्टोरेशन का प्रा0 पत्र पेश किया। तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजि0 एडी करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से नन्दकिशोर पारेता एड0 ने अण्डरटेकिग दी। रेस्टोरेशन का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद को नम्बर पर लिया गया। जवाब में काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने जवाब बंद किया गया। वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 मोडूलाल, पी0डब्ल्यू0, 2 कुंजबिहारी, पी0डब्ल्यू0 3 प्रहलाद पेश किए। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029–32 प्रदर्श पी–1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2033–36 प्रदर्श पी–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2041–60 प्रदर्श पी–3, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2041–60 प्रदर्श पी–4, नक्शा ट्रेस वर्तमान प्रदर्श पी–5, नक्शा ट्रेस पूर्व सेटलमेंट प्रदर्श पी–6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2064–67 प्रदर्श पी–7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श पी–8 पेश किए। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के तथ्यों का अवलोकन व मनन करने पर पाया कि वादी ग्राम खेडली बोरदा का ख0नं0 47 रकबा 0.67है0 को अपने कमी रकबे की पूर्ति हेतु कुछ घोषणा करवाना चाहता है। परन्तु वादी ने वाद पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों से यह कहीं भी सिद्ध नहीं किया है कि आया साबिक ख0नं0 32 रकबा 9.09है0 के वर्तमान ख0नं0 46 व 47 ही बने एवं प्रतिवादीगणों के भू प्रबंध से पूर्व के पुराने खाते से भू–प्रबंध कार्यवाही के पश्चात के खाते में रकबे में वृद्धि हुई है। इस हेतु वर्तमान ख0नं0 47 रकबा 0.67है0 का मिलान क्षेत्रफल एवं ख0नं0 47 रकबा 0.67है0 के खातेदारों की भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व एवं भू–प्रबंध कार्यवाही के पश्चात की जमाबन्दी संबंधित खसरों के मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपीयां सलंग्न करनी/पेश करनी चाहिए थी। जिससे यह पता चल सके कि आया वादीगण के साबिक ख0नं0 में से नया ख0नं0 46 रकबा 0.79है0 बनाने के पश्चात शेष 4.04 बीघा रकबा किस खसरा नं0 में शामिल हुआ है। वादी के कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नं0 से की जावे। वादी ख0नं0 47 रकबा 0.67है0 पर अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाए है। अतः वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
59 / 2023	04 / 12 / 2023	04 / 11 / 2025

1. मोडूलाल पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
2. कुंजबिहारी पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
3. बाबूलाल पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
4. कल्याणी पुत्री कान्हा जाति बैरवा निवासी खेडली बोरदा तह, पीपल्दा
5. बनवारी पुत्र द्रोपती बाई जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा
6. धर्मेन्द्र पुत्र द्रोपती बाई नाबालिग जर्ये वली पिता रामरतन जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा ज़िला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. मृतक आत्माराम जरिये कामयमुकाम

1/1 सीताराम पुत्र आत्मा राम जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा

2. जगदीश पुत्र बिरखा जाति बैरवा निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

4. रुघनाथ पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी खेडली बोरदा तह. पीपल्दा

5. नाथी पुत्री बिरधा पत्नि केसरीलाल जाति बैरवा हाल निवासी तलाव की झोपड़िया तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

6. गिरधारी पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी खेडली बोरदा तह. पीपल्दा

7. रामकरण पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह, पीपल्दा

8. गिर्राज पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

9. राजाराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

10. महावीर पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

11. भूलीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

12. बिरधीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

13. मथुरीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

14. धापोबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

15. बद्रीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तह. पीपल्दा

16. कल्याणी बाई बेवा रामनाथ जाति गूर्जर निवासी खेडली बोरदा तह. पीपल्दा

17. पन्नालाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी निवासी खेडली बोरदा

18. राजस्थान सरकार जये तहसीलदार साहब पीपल्दा तह पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92(ए), 188 आर.टी.एक्ट वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री एस0टी0एच0 आब्दी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 04.11.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा